भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय

Mine code 38HPR10019

संख्या

स्पीड पोस्ट

एचपी / एसआरएम / एलएसटी-16 SHOW CAUSE NOTICE

100 ओल्ड नेहरू कालोनी. देहरादून (उत्तराखंड) दिनांक: 29.06.2015 30

सेवा में :

मै० गुप्ता एसोसियट्स, गांव एवं पो०ऑ०-ददाह् तहसील – श्री रेनुकाजी, जिला-सिरमौर (हि0प्र0)

विषय

हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले में स्थित आपकी हिमालया चूना पत्थर खान पर खनिज संरक्षण

एवं विकास नियमावली 1988 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

इस कार्यालय के श्री एस0 सकलानी, सहायक खनन भूवैज्ञानिक द्वारा श्री तुली, खान सुपरवाइजर, की उपस्थिति में दिनांक 14.03.2015 को आपकी उपरोक्त वर्णित खान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंधन पाया गया जिन्हें कि पत्र संख्या सम दि 13.04.2015 के माध्यम से जारी किया गया :-

## RULE NO.

## NATURE OF VIOLATION OBSERVED

24(1): Notice of temporary discontinuance have not been received.

45(5)(a): Monthly returns for the year 2013-14 & 2014-15 (upto February) have not been received.

45(5) (b): Annual return for the year 2013-14 has not been submitted.

These violations may lead to suspension of all mining operations in the mine as well as termination of mining lease and prosecution of the owner, agent and manager.

2. In this connection, it is brought to your kind notice that the above violations constitute an offence punishable under Rule 58 of MCDR, 1988

3. You are therefore, directed to show-cause within a period 30 days from the date of the issue of this letter as to why you should not be prosecuted for the above offence.

Please not no further notice will be given to you in this regard.

(के० एस० यादव) क्षेत्रीय खान नियंत्रक

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. खान नियंत्रक (उत्तर),भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।

2. राज्य भुवैगानिक, उद्योग निदेशालय, हि.प्र.सरकार, शिमला।

 अधीक्षण खनिज अर्थशास्त्री, खनिज सांख्यकीय प्रभाग, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर FEO SOISILE SUM

(के० एस० यादव) क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो